रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239660
CG-DL-E-14102022-239660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4665] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
No. 4665] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4875(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 28 के किलो मीटर 0.000 से किलोमीटर 365.570 (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के का.आ. 1844 (अ) दिनांक 25 जून 2013 की अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण ने मैसर्स अयोध्या गोरखपुर एसएमएस टोल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आई.टी. पार्क, 20, एसटीपीआई, गायत्री नगर, परसोदी, नागपुर -440022, महाराष्ट्र, भारत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय के लिए अधिसूचना के अनुसार शुल्क एकत्र करने और रखने के लिए एक करार किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर संशोधन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) और रियायतग्राही के साथ रियायत करार के पूर्ण होने पर, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 (नया एनएच -27) तक डिजाइन किमी 137.970 से किमी 252.860

तक चार लेन अयोध्या-गोरखपुर खंड के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 110.060 किमी और 12.900 किमी (जिनकी संरचना लबाई 1.290 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट 100 % की दर से तथा बाईपास जिनकी लंबाई 4.751 किमी तथा लागत 10 करोड रू या अधिक है, के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ गुना की दर से सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत करती है और एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से रियायत अवधि की समाप्ती की तिथि से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

सारणी-2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनज)	लंबाई जिसके (किलोमीटर मे) लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के चौकड़ी गांव के निकट एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 163.000 पर	47.200 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई को छोड़कर और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के मंडवानगर गांव के निकट एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 198.000 पर	62.860 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई को छोड़कर और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**बाइपास का नाम**	**आरंभ होते हुए**	**मिलते हुए**	**बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लम्बाई (कि.मी. मे)	**लागत (करोड़ रूपए में)**	
उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के चौकड़ी गांव के निकट एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 163.000 पर	एनएच-28 (नया एनएच-27) का अयोध्या बाइपास	डिजाइन किमी 137.970	डिजाइन किमी 144.011	4.751	62.86	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)**	**सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के चौकड़ी गांव के निकट एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 163.000 पर	1.290^	12.900	लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	चैनेज		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1	139.274	140.564	बड़ा पुल	1.290

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलो मीटर तक की दूरी में ही रहता/ रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5 . राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी -5

संदेय राशि	**अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1387.71 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/22-23/फीनोटिफिकेशन/अयोध्या-गोरखपुर सेक्शन(एनएच-28)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2022

S.O. 4875(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.465(E) dated the 26th April 2002 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 365.570 (Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/Bihar Border Section) of National Highway No 28 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

And Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1844(E) dated 25th June 2013 , Authority had entered into an agreement with M/s Ayodhya Gorakhpur SMS Tolls Pvt Ltd having its registered office at I.T. Park, 20 , STPI , Gayatri Nagar , Parsodi , Nagpur -440022 , Maharashtra , India (hereinafter referred to as the "Concessionaire") to collect and retain the fee as per notification for expenditure involved in maintenance , management and operation of the said National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time-to-time (hereinafter referred to as the "rules"), and upon completion of concession agreement with concessionaire , the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 110.060 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 12.900 km (having structure length 1.290 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 4.751 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane Ayodhya - Gorakhpur Section from design Km 137.970 to Km 252.860 of National Highway number 28 (New NH-27) in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor from the date of end of concession period with concessionaire the said fee, namely:—

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	**(2)**
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At design km 163.000 of NH-28 (New NH-27) near Chaukadi Village of Basti District of Uttar Pradesh	47.200 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design km 198.000 of NH-28 (New NH-27) near Mandwanagar Village of Basti District of Uttar Pradesh	62.860 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:—

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At design km 163.000 of NH-28 (New NH-27) near Chaukadi Village of Basti District of Uttar Pradesh	Ayodhya Bypass of NH - 28 (New NH-27)	Design km 137.970	Design km 144.011	4.751	62.86	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: —

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design km 163.000 of NH-28 (New NH-27) near Chaukadi Village of Basti District of Uttar Pradesh	1.290 ^	12.900	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures is as under:—

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	139.274	140.564	Major Bridge	1.290

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three hundred And Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1387.71 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/22-23/Fee Notification/Ayodhya-Gorakhpur Section(NH-28)]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.14 22:38:57 +05'30'